राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 28.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को **Containment Zone** के रूप में चिन्हित किया गया है तथा राज्य में इस संक्रमण से कुछ मृत्यु भी हुई हैं। अब तक राज्य में **कोविड–19** संक्रमण से हुई मृत्युओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश मृतक हाईरिस्क ग्रुप श्रेणी के थे। प्रदेश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को न्यूनतम रखे जाने व इस संकमण से ग्रस्त रोगियों के जीवन को बचाने हेतु यह आवश्यक है कि संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही संक्रमित व हाईरिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान कर उनका समय रहते प्राथमिकता के आधार पर समुचित ईलाज किया जावे।

इस क्रम में Containment Zone में ICMR गाईड लाईन के अनुसार की जा रही जांचों को पूर्व की भांति यथावत जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 संक्रमण से होने वाली मौंतों की संख्या/मृत्युदर को न्यूनतम रखने, संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाईरिस्क ग्रुप के व्यक्तियों के जीवन को बचाने हेतु मिशन लाईफ सेविंग (MISSION LISA) प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः समस्त जिला कलक्टरों, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 संक्रमण से होने वाली मौंतों की संख्या को न्यूनतम रखने, संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाईरिस्क ग्रुप के व्यक्तियों के जीवन को बचाने हेतु **MISSION LISA** के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही संपादित करावें :–

1. **हाई रिस्क ग्रुप की पहचान :** हाई रिस्क ग्रुप में निम्नांकित सम्मिलित होंगे।
   60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, उच्च रक्तचाप से पीडित, हृदय रोगी, मधुमेह, अस्थमा/सीओपीडी, किडनी संबंधित रोग, कैंसर, टी.बी. व अन्य गंभीर रोगों से प्रभावित व्यक्ति, गर्भवती महिलायें तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

2. **हाई रिस्क ग्रुप की सूचना का संकलन :** जिले में इस बाबत हाई–रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान विभिन्न माध्यमों से की जा सकती है, उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, एन0सी0डी0 डेटाबेस, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जनाधार केन्द्र, मतदाता सूची, राशन कार्ड, सरकारी पेंशनर्स का रिकॉर्ड इत्यादि से सूचना का संकलन कर ग्राम/वार्ड वार सूची तैयार की जावें।

3. **Containment Zone में सर्वे** : चिन्हित **Containment Zone** में आशा/एएनएम/बीएलओ अथवा अन्य कार्मिकों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की मदद से लगभग 20 घरों पर एक स्वयं सेवक का चयन कर उनको कोविड–19 से संबंधित प्रशिक्षण देकर हाईरिस्क वाले रोगियों की पहचान कर सूची अपडेट की जावे। ऐसे व्यक्तियों के सर्वे की विस्तृत सूचना निर्धारित प्रपत्र में संकलित की जावे, जिसे बाद में Digitise किया जावे। साथ ही सर्वे के दौरान सर्वे दल द्वारा हाईरिस्क वाले व्यक्तियों को कोविड–19 संक्रमण से बचाव तथा संक्रमण होने की स्थिति में खतरे के लक्षणों के बारे में संबंधित जानकारी पेम्फलेट के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाई जावे। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क करने बाबत जानकारी दी जावें। सर्वे के दौरान किसी व्यक्ति में कोविड–19 संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर अथवा कोई तकलीफ होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जावे। ऐसे व्यक्तियों से टेलीफोन/मोबाईल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रतिदिन जानकारी प्राप्त की जावे। ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से स्वयं की स्थिति का आंकलन करने हेतु प्रेरित किया जावे। यह गतिविधि निरंतर रूप से संपादित की जावें।

4. **चिकित्सक दल द्वारा जांच** : **Containment Zone** में आने वाले राजकीय अथवा निजी चिकित्सालयों को चिन्हित किया जाकर हाईरिस्क वाले रोगियों की चिकित्सक द्वारा जांच की जाये। यदि इन क्षेत्रों में कोई चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं है तो अस्थाई रूप से मुख्य–मुख्य स्थानों पर मोबाईल ओपीडी वैन/एम्बूलेंस का उपयोग इस हेतु किया जाकर हाईरिस्क ग्रुप वाले व्यक्तियों की **पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम** से जांच की जाकर उन्हें आवश्यकतानुसार निकटतम डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (D.C.H.) में एम्बूलेन्स के माध्यम से भर्ती किया जावे।

5. **एम्बूलेन्स सुविधा** : चिन्हित **Containment Zone** में स्थाई रूप से एक से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर एक एम्बूलेंस की व्यवस्था की जावें। एम्बूलेंस पर कार्यरत कार्मिकों को कोविड–19 से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जावें ताकि वह उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान कर उन्हें तुरन्त डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (D.C.H.) में पहुंचा सकें। इस हेतु Triage गाईड लाईन की पालना की जावें जिसका प्रोटोकॉल संलग्न है।

6. **Passive Surveillance** : राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों पर आने वाले हाई–रिस्क ग्रुप के मरीजों को कोविड–19 के बचाव एवं खतरों के लक्षणों के बारे में आईईसी गतिविधियों (एलईडी/पेम्फलेट्स/माइकिंग/बैनर/पोस्टर इत्यादि) के माध्यम से जानकारी दी जाये तथा ILI/SARI के मरीजों विशेषतौर पर हाई–रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पल्स आक्सीमीटर के द्वारा **SPO2** एवं श्वसन दर की जांच तथा आवश्यकतानुसार कोविड–19 की जांच करवायी जाये एवं जिला स्तर पर साप्ताहिक रूप से विश्लेषण किया जाये।

7. **आई. ई. सी. गतिविधियां** : **Containment Zone** के साथ अन्य क्षेत्रों व जिलों में भी हाई–रिस्क ग्रुप के सदस्यों के साथ–साथ आमजन को भी नियमित रूप से सार्वजनिक उदघोषण प्रणाली (माइकिंग), पेम्फलेट, समाचार पत्र, एस.एम.एस., दूरभाष,

टी0वी0 केबल, व्हाटस्एप तथा प्रचार–प्रसार के अन्य माध्यमों से कोविड–19 से बचाव जोखिम वाले लक्षणों की जानकारी दी जावे, तथा संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क करने बाबत जानकारी दी जावें।

8. **रिकॉर्डिंग एवं रिर्पोटिंगः–** उपरोक्त गतिविधियों की सूचना का संकलन निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तर पर किया जाये तथा उक्त सूचनाऐं निदेशालय की ई–मेल आईडी **rajcovid19@gmail.com** पर प्रतिदिन प्रेषित की जावे तथा निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये ऐप में भी सर्वे के दौरान प्राप्त सूचनाओं का इन्द्राज किया जावे। ऐप में सूचना दर्ज करने का प्रशिक्षण पृथक से वी0सी0 के माध्यम से प्रदान किया जावेगा।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच में उपयोग में लिये जा रहे पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य उपकरणों को एक व्यक्ति की जांच करने के पश्चात निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सेनेटाईज कर ही अगले मरीज की जांच हेतु उपयोग में लाया जाये।

निदेशक, जन स्वास्थ्य उक्त मिशन के नोडल अधिकारी होंगे तथा इस संबंध में की गइ कार्यवाही से प्रतिदिन राज्य सरकार को अवगत करायेंगे।

28/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड–19, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 28.4.2020
शासन उप सचिव

MISSION LISA FLOW CHART

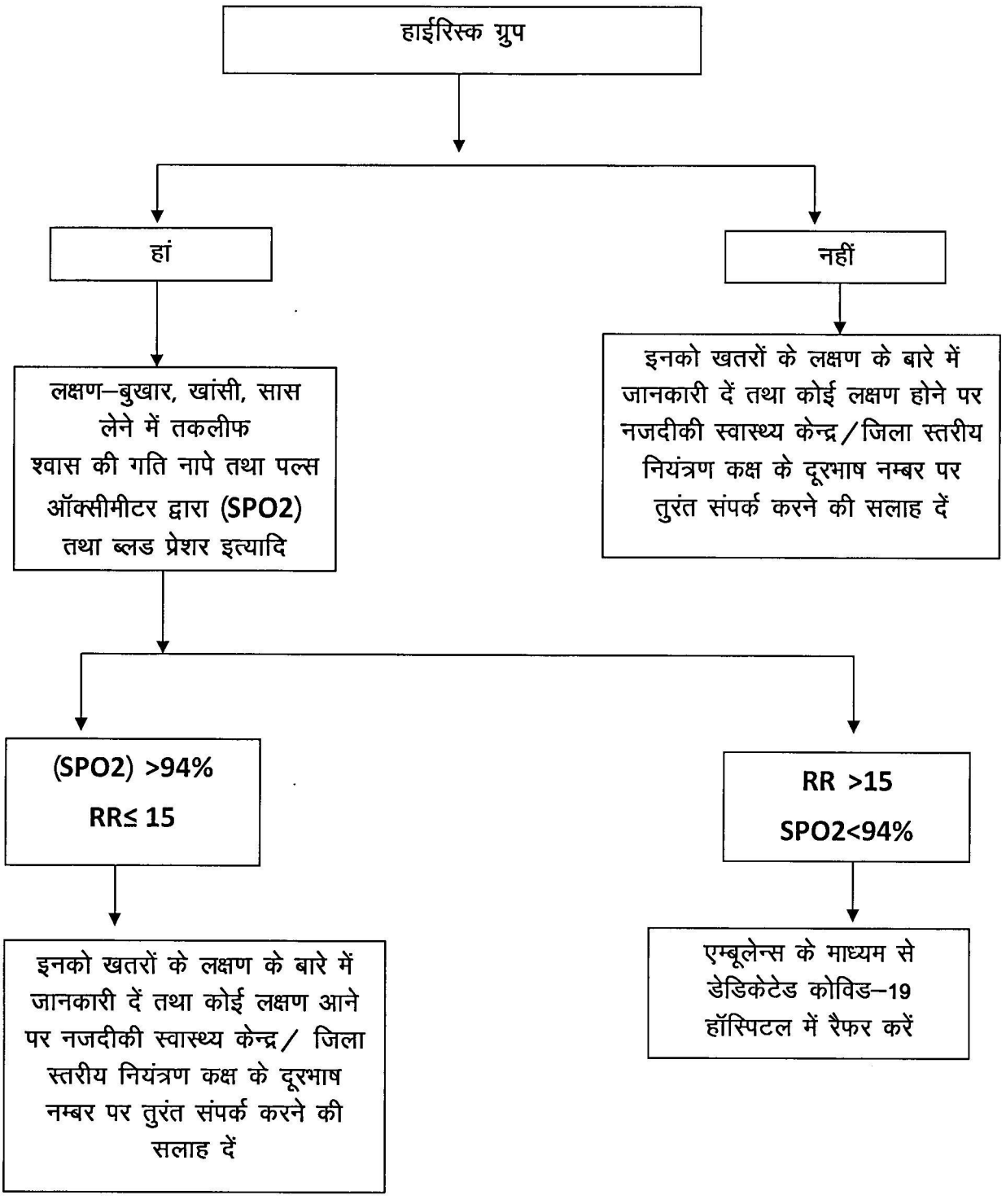

Governement of Rajasthan					
District					
Block					
Containment Zone					
Date					
S. No.	Total number of people contacted	Total Number HRG	Total number of examined by MO	Total number referred	Total number of samples taken
	0	0	0	0	0

जिला स्तर संस्थान पर संधारित की जाने वाली लाइन–लिस्टिंग की सूचना									
जिले का नाम									
ब्लॉक का नाम									
Containment Zone									
दिनांक									
क0सं0	नाम	उम्र	पता	मोबाइल नम्बर	एचआरजी का कारण	सर्वे दल द्वारा सम्पर्क करने की दिनांक	चिकित्सक द्वारा जांच दिनांक	उच्चतर संस्था पर रैफर करने की दिनांक	सैम्पल लिये जाने की दिनांक